



कार्यालय – प्राचार्य

मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला –बालोद (छ.ग.)

email id : govtcollegearm@gmail.com

website: www.gc-armarikala.in

क्रं. 255/ छात्रवृत्ति / 2024

अरमरीकला, दिनांक – 11/09/2024

// सूचना //

महाविद्यालय में अध्ययनरत् नियमित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा नवीन एवं नवीनीकरण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in> पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11/09/2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। इच्छुक पात्र छात्र/छात्राएँ ऑनलाईन आवेदन भरकर आवेदन की हार्डकॉपी निम्न लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित श्रीमती छायारानी साहू प्रयोगशाला तकनीशियन, के पास दिनांक – 15/11/2024 तक कार्यालयीन दिवस में प्रतिदिन दोपहर 2:30 से 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें।

क्रं.	प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि
01	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	11/09/2024 से 30/10/2024 तक

संलग्नक :-

- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट एवं पासपोर्ट साइज फोटो। (विद्यार्थी Academic Year 2024-25, Institute Name – Madan Lal Sahu Govt. College Armarikala -Distt- Balod C.G. ध्यानपूर्वक भरें)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करें एवं शेष प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आय प्रतिवर्ष 200000/- रूपयें से कम तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100000/- रूपयें वार्षिक आय से कम होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए।
- बैंक पासबुक की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है। (बैंक पासबुक में जुलाई 2024 से वर्तमान माह तक राशि जमा एवं आहरण का पूर्ण विवरण प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करावें एवं ट्रांजेक्शन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- स्थायी जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- इस सत्र भी छात्रवृत्ति केवल छात्र/छात्रा के बैंक खातों से जारी की जायेगी अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना अनिवार्य है। बैंक बचत खाता आधार नम्बर से सीडिंग अनिवार्यता होना चाहिए। बैंक खाता आधार सीडिंग नही होने पर छात्रवृत्ति नही मिल पायेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

09. ऐसे छात्र/छात्रा जिनका बैंक खाता, **Inactive** है अथवा जनधन योजना के तहत खोला गया है। वे छात्र/छात्रा अपने खाते में प्रत्येक एक महिने के अन्तराल में नगद राशि जमा करें, ताकि बैंक खाता बंद न हो (प्रत्येक बैंक के खाते में जमा करने की निर्धारित न्यूनतम जमा राशि होती है)। 06 माह से अधिक समय तक ट्रान्जेक्शन नहीं होने के कारण **Inactive Account** में राशि ट्रान्सफर नहीं हो पाता है। ट्रान्जेक्शन नहीं करने की स्थिति में बैंक खाता बंद होने एवं छात्रवृत्ति जमा न होने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
10. महाविद्यालय द्वारा एक सत्र में किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अग्रेषित किया जायेगा।
11. छात्र/छात्रा द्वारा हार्डकॉपी कार्यालय में जमा न करने की स्थिति में छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति का ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. महाविद्यालय के नियमित बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. भाग द्वितीय एवं तृतीय, पीजीडीसीए. डीसीए तथा एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र के छात्र/छात्रा अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही आवेदन करें। अन्य महाविद्यालय से आये नये छात्र/छात्रा (पूर्व में पो.मै.छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था) अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही आवेदन करें तथा महाविद्यालय का नाम मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला भरें।
13. महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र/छात्रा (पूर्व में पो.मै.छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था एवं इस वर्ष इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है) अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही नवीनीकरण आवेदन (Renewal Application) आवेदन करें।
14. अनियमित विद्यार्थी जो बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश लिये है ऐसे आवेदक छात्र/छात्रा नवीन आवेदन (Fresh Application) भरेंगे।
15. आवेदन की हार्डकॉपी जमा करते समय सभी दस्तावेजों की मूलप्रति स्वयं के पास होना चाहिए।

नोट :-

- विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक आनलाईन आवेदन भरा जावे एवं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार सही जानकारी दी जावे। गलत जानकारी प्रदान करने पर छात्रवृत्ति निरस्त होने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।
- गलत जानकारी या सही जानकारी नही दिये जाने जानकारी मिलने पर मिली हुई राशि शासन को वापस लौटानी पड़ेगी।

क्रं. / छात्रवृत्ति / 2024

- प्रतिलिपि :-
1. महाविद्यालय के समस्त नियमित छात्र/छात्राओं को सूचनार्थ।
 2. छात्रवृत्ति शाखा।
 3. वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सूचना पटल पर चस्पा, सूचनार्थ हेतु।

प्रिन्सिपल
Principal
Madan Lal Sahu Govt College
Amarikala, Dist. Balod (C.G.) 2024

प्रिन्सिपल
Principal
Madan Lal Sahu Govt College
Amarikala, Dist. Balod (C.G.)